**<u>मुँगेर एवं जमालपुर शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक–16.01.14 को 3.30 बजे [illegible] में आयोजित बैठक की कार्यवाही</u> :–**

उपस्थिति :–

1. जयशंकर [illegible] — अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
2. [illegible] — मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार), पथ निर्माण विभाग, यातायात उपभाग
3. [illegible] — विशेष पदाधिकारी
4. [illegible] — अधीक्षण अभियंता, मुंगेर
5. [illegible] — कार्यपालक अभियंता मुंगेर
6. दयाशंकर प्रसाद — कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)
7. [illegible] — सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग

- अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव द्वारा मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग को बताया गया कि मुंगेर एवं जमालपुर शहरी जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुछ स्थानों पर [illegible] पाइप बिछाने का प्रावधान है। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर ने अपने पत्रांक–320, दि0–11.04.13 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया है। कार्यपालक अभियंता, पथ.प्रमंडल, मुंगेर ने अपने पत्रांक–371, दि0 [illegible] द्वारा सूचित किया है कि सम्पादित पथ क्षति मरम्मति, भूमि उपयोग शुल्क, निरीक्षण शुल्क आदि की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में एवं अग्रधन की राशि बैंक गारंटी के रूप में उपलब्ध कराने के पश्चात् ही एन0ओ0सी0 निर्गत की जाएगी। इनके द्वारा मांग की गई राशि प्राक्कलन में इस मद हेतु अनुमोदित राशि से काफी ज्यादा है। इस बिन्दु पर मुख्यालय स्तर से भी पूर्व में पथ निर्माण विभाग को पत्र दी गई है।
- मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार), पथ निर्माण विभाग, यातायात उपभाग द्वारा इस बिन्दु पर बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन की मदवार समीक्षा कर आपत्ति वाले बिन्दुओं पर स्पष्ट मंतव्य कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर एवं विभाग को उपलब्ध करवें। तत्पश्चात् कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर से विमर्शोपरान्त मुख्यालय स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा। इस बिन्दु पर अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को दो दिनों के अंदर प्राक्कलन में प्रावधानित मदों पर अपना आपत्ति लिखित रूप में उपलब्ध कराने के साथ ही इसकी प्रति मुख्यालय को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् पथ निर्माण विभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों के साथ दि0–23.01.14 को बैठक करने पर सहमति बनी।

- पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि पाईप बिछाने के क्रम में सड़क के Flank को काटने पर यदि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसको पूर्व की स्थिति में ला दिया जाएगा, तो पथ निर्माण विभाग द्वारा इसके लिए कोई शुल्क नहीं ली जाएगी एवं इस हेतु पथ प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जाएगी।

- पथ प्रमंडल द्वारा समर्पित प्राक्कलन में 12.36 प्रतिशत की सेवा कर (Service Tax) का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई। इस बिन्दु पर मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन से इस मद को हटा दिये जाने के बिन्दु पर विचार किया जा सकेगा क्योंकि अंतर्विभागीय कार्यों की स्थिति में इस मद के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 7/ज01–102/11 63 दिनांक– 31/01/2014

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार), पथ निर्माण विभाग, यातायात उपभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव/ विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0/मु0)/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करें।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव